

## भारत में 75 नई डजिटल बैंकगि इकाइयाँ

### प्रलिमिंस के लिये:

डजिटल बैंक, वित्तीय समावेशन

### मेन्स के लिये:

डजिटल बैंकगि इकाइयाँ, डजिटल बैंकगि इकाइयों के लाभ और सेवाएँ

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 75 ज़िलों में 75 डजिटल बैंकगि इकाइयाँ (DBU) राष्ट्र को समर्पित की हैं।

- वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण के हिससे के रूप में वित्त मंत्री ने हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 ज़िलों में 75 DBU स्थापित करने की घोषणा की।

## डजिटल बैंकगि इकाइयाँ (DBU)

### परचिय:

- डजिटल बैंकगि इकाइयाँ अनुसूचित वाणज्यिक बैंकों द्वारा स्थापित एक वशिष्टिफिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट या हब है, जो डजिटल बैंकगि उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को किसी भी समय डजिटल रूप से स्वयं-सेवा मोड में सेवा देने के लिये कुछ न्यूनतम डजिटल बुनियादी ढाँचे को स्थापित करता है।
- DBU की स्थापना इस उद्देश्य से की जा रही है कि डजिटल बैंकगि का लाभ देश के कोने-कोने तक पहुँचे और यह सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करेगा।

### लाभ:

- DBU उन लोगों को सक्षम बनाएगा जिनके पास सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) बुनियादी ढाँचा नहीं है, वे बैंकगि सेवाओं को डजिटल रूप से एक्सेस कर सकते हैं।
- वे उन लोगों की भी सहायता करेंगे जो डजिटल बैंकगि अपनाने के लिये तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं।

### DBU सेवाएँ:

- इन डजिटल बैंकगि इकाइयों में ग्राहकों को अपना बचत खाता खोलने, खाते में शेष राशि पता करने, पासबुक प्रिंट कराने, पैसे भेजने, सावधि जमा निवेश के अलावा क्रेडिट-डेबिट कार्ड और कर्ज के लिये आवेदन जैसे काम करने के साथ ही कर व बिलों के भुगतान की पूरी सुविधा होगी।
- DBU जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से सरकारी क्रेडिट लिंक योजनाओं और एमएसएमई / खुदरा ऋणों के एंड-टू-एंड डजिटल प्रसंस्करण की सुविधा भी प्रदान करेंगे।

### DBU और पारंपरिक बैंकों के बीच अंतर:

- DBU 24 x 7 नकद ज़मा और नकिसी सहित बैंकगि सेवाएँ प्रदान करेगा।
- DBU की सेवाएँ डजिटल रूप से प्रदान की जाएँगी।
- जनि लोगों के पास कनेक्टिविटी या कंप्यूटिंग डिविइस नहीं हैं, वे DBU से पेपरलेस मोड में बैंकगि लेनदेन कर सकते हैं।
- बैंक कर्मचारी सहायता प्राप्त मोड में बैंकगि लेनदेन के लिये उपयोगकर्त्ताओं की सहायता और मार्गदर्शन के लिये उपलब्ध रहेंगे।
- DBU डजिटल वित्तीय साक्षरता प्रदान करने और डजिटल बैंकगि अपनाने के लिये जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा।

### डजिटल बैंकों और DBU के बीच अंतर:

- बैलेंस शीट/कानूनी मान्यता:
  - DBU के पास कानूनी मान्यता नहीं है और उन्हें बैंकगि वनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लाइसेंस नहीं दिया गया है।
    - कानूनी रूप से वे "बैंकगि आउटलेट" अर्थात्, शाखाओं के समकक्ष हैं।
  - डजिटल बैंकों, बैंकगि वनियमन अधिनियम, 1949 के तहत वधिवित लाइसेंस प्राप्त एक बैंक है, जिनके पास एक बैलेंस शीट और कानूनी अस्तित्व है।

◦ नवाचार/प्रतस्पर्द्धा का स्तर:

- DBU डजिटल चैनलों को नयामक मान्यता प्रदान करके मौजूदा चैनल बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करते हैं। हालाँकि, वे प्रतस्पर्द्धा पर चुप्पी साधे हुए हैं।
- DBU दशिया-नरिदेश स्पष्ट रूप से बताते हैं कि केवल मौजूदा वाणजियकि बैंक DBU स्थापति कर सकते हैं।
- इसके वपिरीत यहाँ प्रस्तावति डजिटल बैंकों के लयि लाइसेंसिंग और नयामक ढाँचा प्रतस्पर्द्धा/नवाचार आयामों के साथ अधिकि सक्षम है।

## वत्तितीय समावेशन से संबंधति अन्य पहलें:

- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
- यूनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
- फनिटेक
- इंडिया स्टैक

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. बैंक खाते से वंचति लोगों को संस्थागत वत्ति के दायरे में लाने के लयि प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) आवश्यक है। क्या आप भारतीय समाज के गरीब वर्ग के वत्तितीय समावेशन के लयि इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि के लयि उचित तर्क दीजयि। (2016)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/75-new-digital-banking-units-in-india>

